



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005

केंद्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001

Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001



CIN : L40101DL1989GOI038121

दिनांक: 12 April, 2023

PGCIL/R/E/23/00103 & 00104

Shri V K GAUR,
Makan No. C-115, Gali No.08, Kanti Nagar Extension, Delhi-110051

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 21 March, 2023 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध पत्रों का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्रों में वांछित जानकारी अनुलग्नक-। में संलग्न है।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा

कार्यपालक निदेशक (के.आयोजना एवं सी.एस.) एवं अपील प्राधिकारी

केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सैक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।

ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in

फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,

११३०५ ११०
१२/०४/२३

(ए. जगन्नाथ राव)

मुख्य महाप्रबंधक (केंद्रीय आयोजना) एवं

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

विषय: श्री वी. के. गोड, कांती नगर एक्स्टेंशन, दिल्ली द्वारा आरटीआई. आवेदनों का जवाब

(आरटीआई. आवेदन रजि० सं०. PGCIL/R/E/23/00103 & 00104)

क्रमांक	मांगी गई सूचना:	पावरग्रिड का जवाब:
1.	पावरग्रिड विभाग में कार्यरत ऐसे कार्यपालकों के विवरण का प्रमाणित दस्तावेज़/सूची मय पिता/पती का नाम, कर्मचारी संख्या व तैनाती स्थल सहित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावे जिनके स्पाठुस केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पावरग्रिड और ऑटोनोमस बॉडी में कार्यरत ऑटोनोमस बॉडी में कार्यरत हैं।	मांगी गई जानकारी का उद्देश्य तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना है और इस प्रश्न का उत्तर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(जे) के अनुसार मांगी गई जानकारी प्राप्त करना है और "सूचना" के अनुरूप में योग्य नहीं है।
2.	पावरग्रिड विभाग में कार्यरत ऐसे कार्यपालकों के विवरण का प्रमाणित दस्तावेज़/सूची मय पिता/पती का नाम, कर्मचारी संख्या व तैनाती स्थल सहित उपलब्ध करावे जिनके स्पाठुस केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पावरग्रिड और ऑटोनोमस बॉडी में कार्यरत हैं, तथा पति/पत्नी दोनों ही एच.आर.ए./लैज ले रहे हैं उनके प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावे।	क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 का जवाब: आपके द्वारा मांगी गई सूचना व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकल्प किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है अथवा इस सूचना से किसी भी व्यक्ति की एकांकता पर अलावश्यक अतिक्रमण होगा। अतः ऐसी व्यक्तिगत सूचना के प्रकल्प किये जाने से, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) (जे) के अंतर्गत छूट है।
3.	पावरग्रिड विभाग में कार्यरत ऐसे कार्यपालकों के विवरण का प्रमाणित दस्तावेज़/सूची प्रदान करें जिनके स्पाठुस केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पावरग्रिड और ऑटोनोमस बॉडी में कार्यरत हैं एवं वे कार्यपालक अपने स्पाठुस का चिकित्सा पुनरभरण दावे पावरग्रिड में प्रस्तुत कर भुगतान ले रहे हैं अथवा नहीं संदर्भित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावे।	पावरग्रिड विभाग में कार्यरत ऐसे कार्यपालकों के विवरण का प्रमाणित दस्तावेज़/सूची कार्यपालक जिनके स्पाठुस केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पावरग्रिड और ऑटोनोमस बॉडी में कार्यरत हैं तथा वे अपने स्पाठुस और आश्रित सदस्यों का चिकित्सा पुनरभरण पावरग्रिड से लेते हैं, तो क्या पावरग्रिड के प्रबंधन द्वारा कार्यपालक का स्पाठुस जहां कार्यरत हैं उस विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा पुनरभरण अन्यत्र विभाग से लेने हेतु चिकित्सा पुनरभरण नियमानुसार एन.ओ.सी. संदर्भित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावे।
4.	पावरग्रिड विभाग में शादी के उपरांत विवरण वर्ष 2009 से कार्यरत ऐसे महिला कानिंहों के विवरण का प्रमाणित दस्तावेज़/सूची जिनके स्पाठुस केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पावरग्रिड और ऑटोनोमस बॉडी में कार्यरत हैं तथा वे अपने स्पाठुस और आश्रित सदस्यों का चिकित्सा पुनरभरण हेतु पावरग्रिड के प्रबंधन द्वारा उस विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा पुनरभरण अन्यत्र विभाग से लेने हेतु चिकित्सा पुनरभरण नियमानुसार एन.ओ.सी. संदर्भित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावे।	***** 
5.	पावरग्रिड विभाग में शादी के उपरांत विवरण वर्ष 2009 से कार्यरत ऐसे महिला कानिंहों के विवरण का प्रमाणित दस्तावेज़/सूची जिनके स्पाठुस केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पावरग्रिड और ऑटोनोमस बॉडी में कार्यरत हैं तथा वे अपने स्पाठुस और आश्रित सदस्यों का चिकित्सा पुनरभरण हेतु पावरग्रिड के प्रबंधन द्वारा उस विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा पुनरभरण अन्यत्र विभाग से लेने हेतु चिकित्सा पुनरभरण नियमानुसार एन.ओ.सी. संदर्भित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावे।	***** 